NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 25-11-2026

विषय सूची

विकसित भारत और समुन्नत नेपाल: साझेदारी की पुनर्कल्पना

भारत–जर्मनी सामरिक साझेदारी

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा बिसलेरी के विरुद्ध कार्रवाई

भारत में पुष्पोत्पादन अर्थव्यवस्था (Floriculture Economy)

संक्षिप्त समाचार

- गुरु नानक देव जी की जयंती
- लचित बोरफुकन
- शेषनाग झील
- इसरो का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) प्रक्षेपित करने का लक्ष्य
- बेपीकोलंबो मिशन
- केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (CSL)

विकसित भारत और समुन्नत नेपाल: साझेदारी की पुनर्कल्पना

संदर्भ

- भारत और नेपाल ने नेपाल के प्रधानमंत्री महामहिम श्री बालेन्द्र शाह की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान 'विकसित भारत और समुन्नत नेपाल' शीर्षक से 10 स्तंभों पर आधारित एक व्यापक संयुक्त विज़न को अपनाया।

  भारत–नेपाल संयुक्त वज़िन के दस सूतंभ

- **व्यापक आर्थिक एवं विकास साझेदारी:** भारत-नेपाल सीमा के निकट निर्यातोन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीमापार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs)/औद्योगिक पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करना।
  - भारत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये की विकास सहायता प्रदान करेगा, जिसमें 3,500 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता तथा 11,500 करोड़ रुपये की ऋण सहायता शामिल है।
- **भौतिक एवं डिजिटल संपर्क :** अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ करना तथा धारचूला और दार्चुला के बीच महाकाली नदी पर मोटर-वाहन योग्य पुल का निर्माण करना।
  - प्रस्तावित सिलीगुड़ी–झापा पाइपलाइन सहित सीमापार पेट्रोलियम अवसंरचना का विकास करना।
  - जयनगर–बर्दीबास, जोगबनी–विराटनगर तथा रक्सौल–काठमांडू रेल संपर्क सहित विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाना।
  - भारत की UPI प्रणाली और नेपाल की राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के बीच स्थापित संपर्क के आधार पर सीमापार खुदरा डिजिटल भुगतान व्यवस्था को शीघ्र लागू करना।
- **ऊर्जा, जल संसाधन एवं जलवायु अनुकूलन क्षमता:** पंचेश्वर तथा सप्तकोशी–सुनकोशी सहित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाना।
  - नेपाल में हरित हाइड्रोजन से संबंधित एक प्रायोगिक परियोजना की संभावनाओं का अन्वेषण करना।
- **सुशासन:** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), जिसमें डिजिटल पहचान, भुगतान एवं ई-गवर्नेंस शामिल हैं, के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना।
  - राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के माध्यम से नेपाली सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- **प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं नवाचार :** भारत–नेपाल स्टार्टअप साझेदारी नेटवर्क (IN-SPAN) का विस्तार करना।
  - काठमांडू में स्टार्टअप उत्कृष्टता केंद्र तथा पोखरा में डिजिटल नोमैड्स एवं नवाचार केंद्र की स्थापना करना।
  - भाषिणी के सहयोग से नेपाली भाषा का एक विशाल भाषा मॉडल (LLM) विकसित करना।
- **शिक्षा एवं कौशल विकास:** नेपाल में प्रतिष्ठित भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की शाखाएँ/परिसर स्थापित करने की संभावनाओं का अन्वेषण करना, जिसकी शुरुआत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से की जाएगी।
  - भारत की सहायता से नेपाल में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
- **खेल :** नेपाल में राष्ट्रीय क्रिकेट कोचिंग/प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना तथा क्रिकेट संबंधी अवसंरचना के विकास में भारत सहयोग प्रदान करेगा।
  - बैडमिंटन, टेनिस, निशानेबाजी एवं एथलेटिक्स जैसे अन्य खेलों में भी सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण किया जाएगा।
- **संस्कृति एवं पर्यटन:** जनकपुर–अयोध्या, लुंबिनी–बोधगया–सारनाथ–कुशीनगर तथा काठमांडू (पशुपतिनाथ)–वाराणसी को जोड़ते हुए रामायण, बौद्ध एवं शिव–शक्ति पर्यटन परिपथों का विकास करना तथा इसके लिए सिस्टर सिटी (भगिनी नगर) समझौतों को प्रोत्साहित करना।
  - लुंबिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (LBU) में नालंदा केंद्र की स्थापना करना।
  - भारत और नेपाल में बारी-बारी से प्रतिवर्ष युवा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करना।
- **स्वास्थ्य:** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद (NHRC) के बीच अनुसंधान सहयोग को सुदृढ़ करना।
  - भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) तथा नेपाल के औषधि प्रशासन विभाग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
  - सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भारत–नेपाल जन औषधि केंद्रों की स्थापना करना।
  - नेपाल की राष्ट्रीय चिकित्सा प्रयोगशाला के उन्नयन में सहयोग करना।
- **कृषि :** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) तथा नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद (NARC) के बीच वर्ष 2026–2030 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन में तीव्रता लाना।
  - भारत की अनुदान सहायता से नेपाल के चितवन में कृषि-औद्योगिक पार्क की स्थापना करना।
  - नेपाल में ICAR के कृषि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना।

भारत–नेपाल संबंधों के बारे में

- **साझा सीमा :** नेपाल की सीमा भारत के पाँच राज्यों—सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से लगती है।
  - स्थलरुद्ध देश होने के कारण नेपाल वस्तुओं एवं सेवाओं के परिवहन तथा समुद्र तक पहुँच के लिए मुख्यतः भारत पर निर्भर है।
- **भारत–नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, 1950:** वर्ष 1950 में हस्ताक्षरित यह संधि भारत और नेपाल के बीच विद्यमान विशेष संबंधों का आधारस्तंभ है।
  - इस संधि के प्रावधानों के अनुसार, नेपाली नागरिकों को भारत में भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं एवं अवसरों का लाभ प्राप्त होता है।
- **रक्षा सहयोग:** भारत उपकरणों की आपूर्ति एवं प्रशिक्षण प्रदान करके नेपाली सेना (NA) के आधुनिकीकरण में सहयोग करता रहा है।
  - दोनों देश बारी-बारी से भारत और नेपाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सूर्य किरण' का आयोजन करते हैं।
  - वर्ष 1950 से भारत और नेपाल एक-दूसरे के थल सेनाध्यक्षों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करते आ रहे हैं।
  - भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंटों में नेपाल के पहाड़ी जिलों से भी सैनिकों की भर्ती की जाती है।
- **आर्थिक संबंध:** वित्त वर्ष 2025–26 में भारत और नेपाल के बीच वस्तु व्यापार लगभग 9.38 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। यह नेपाल के कुल बाह्य वस्तु व्यापार का 60 प्रतिशत से अधिक है।
  - भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। वित्त वर्ष 2025–26 में नेपाल के कुल वस्तु निर्यात का 80 प्रतिशत से अधिक भारत को प्राप्त हुआ।
  - भारत नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का सबसे बड़ा स्रोत है तथा नेपाल द्वारा प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत की हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई है।
- **संपर्क एवं विकास साझेदारी:** स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संपर्क अवसंरचना जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत नेपाल का सबसे बड़ा विकासात्मक सहयोगी है।
  - भारत द्वारा सहयोग प्राप्त प्रमुख परियोजनाओं में गौचर हवाई अड्डा (वर्तमान में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा), पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, सीमापार रेल संपर्कों का विकास तथा एकीकृत जाँच चौकियों (ICPs) की स्थापना शामिल हैं।
  - वर्ष 2006 से भारत ने नेपाल को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है।
- **ऊर्जा सहयोग:** भारत और नेपाल के बीच वर्ष 1971 से विद्युत विनिमय समझौता अस्तित्व में है, जिसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।
  - विद्युत क्षेत्र सहयोग पर संयुक्त दृष्टि वक्तव्य, 2022 :
    - नेपाल में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का संयुक्त विकास।
    - सीमापार विद्युत पारेषण अवसंरचना का विकास।
    - दोनों देशों के राष्ट्रीय विद्युत ग्रिडों का समन्वित संचालन।
- **मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR):** वर्ष 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने सबसे पहले सहायता पहुँचाई तथा विदेश में अपना सबसे बड़ा आपदा राहत अभियान 'ऑपरेशन मैत्री' संचालित किया।
  - अगस्त 2026 में नेपाल में आई विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ के बाद भारत ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) अभियान प्रारंभ किया।
  - यह पहल पड़ोसी देशों में प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत की भूमिका को प्रदर्शित करती है तथा नेपाल के साथ मानवीय एवं जन-स्तरीय संबंधों को भी सुदृढ़ करती है।
- **सांस्कृतिक संबंध:** दोनों देशों के नेताओं ने प्रायः सदियों पुराने 'रोटी-बेटी के संबंध' का उल्लेख किया है। यह अवधारणा दोनों देशों के नागरिकों के बीच सीमापार वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंधों को संदर्भित करती है।

भारत एवं नेपाल के बीच चिंताएँ एवं विवाद के क्षेत्र

- **वर्ष 1950 की शांति एवं मैत्री संधि:** इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ एवं विकसित करना तथा शांति को स्थायी आधार प्रदान करना था।
  - समय के साथ नेपाल में यह धारणा विकसित हुई कि यह संधि असममित है तथा नेपाल के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं है।
  - भारत ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि वह संधि की समीक्षा के लिए 'रचनात्मक एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण' अपनाने के लिए तैयार है।
- **काला पानी विवाद :** काला पानी क्षेत्र वर्तमान में भारत के नियंत्रण में है, जबकि नेपाल ऐतिहासिक आधारों पर इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है।
  - यह भारत और नेपाल के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय सीमा विवाद है।
- **दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी:** नेपाल की राजधानी काठमांडू में यह धारणा व्याप्त है कि भारत नेपाल की आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करता है।

- नेपाल के बुनियादी ढाँचे, व्यापार एवं राजनीतिक निर्णयों में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत की चिंताएँ हैं।
- नेपाल में समय-समय पर ऐसे राजनीतिक विमर्श सामने आते रहे हैं, जिनमें भारत को प्रभुत्ववादी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ :** भारत और नेपाल दोनों के समक्ष साझा सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, जिनमें सीमापार आतंकवाद, मानव एवं अन्य प्रकार की तस्करी तथा सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
- **असमान संबंधों की धारणा:** नेपाली समाज के कुछ वर्गों में भारत के साथ संबंधों को असमान मानने की धारणा व्यक्त की गई है।
  - इन चिंताओं में आर्थिक निर्भरता तथा द्विपक्षीय संबंधों में पारस्परिकता की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं।

आगे की राह

- समयबद्ध परियोजना कार्यान्वयन, संपर्क अवसंरचना, व्यापार सुगमीकरण एवं निवेश के माध्यम से नेपाल के साथ भारत की विकास साझेदारी को सुदृढ़ करना तथा बाहरी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव से संबंधित चिंताओं का समाधान करना।
- खुली सीमा व्यवस्था एवं दोनों देशों के नागरिकों की निर्बाध आवाजाही को बनाए रखते हुए सीमापार तस्करी, आतंकवाद एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सहयोग को सुदृढ़ करना।
- दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों को बनाए रखने एवं उन्हें और सुदृढ़ करने के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यटन, रोजगार तथा सामुदायिक स्तर पर आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

स्रोत: PIB

भारत–जर्मनी सामरिक साझेदारी

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ दूरभाष पर बातचीत की। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा एवं उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई तथा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई।

भारत–जर्मनी द्विपक्षीय संबंध

- **संबंधों की स्थापना:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1951 में भारत, जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम देशों में शामिल था।
  - वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
- **सामरिक साझेदारी:** वर्ष 2000 से भारत और जर्मनी के बीच सामरिक साझेदारी विद्यमान है। वर्ष 2025 में दोनों देशों की सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए।
- **अंतर-सरकारी परामर्श व्यवस्था, 2011:** वर्ष 2011 में स्थापित इस व्यवस्था के अंतर्गत दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यापक समीक्षा की जाती है तथा मंत्रिमंडल स्तर पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की जाती है।
  - जर्मनी के साथ इस प्रकार की संवाद व्यवस्था रखने वाले चुनिंदा देशों में भारत भी शामिल है।
- **रक्षा सहयोग:** वर्ष 2006 में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिए आधारभूत रूपरेखा प्रदान करता है।
  - जर्मनी ने भारत के साथ कई बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भाग लिया है, जैसे—
  - मिलन सैन्य अभ्यास।
  - पैसेक्स सैन्य अभ्यास।
  - तरंग शक्ति–1 सैन्य अभ्यास।
- **व्यापार सहयोग:** वित्त वर्ष 2025–26 में भारत और जर्मनी के बीच वस्तु व्यापार 31.03 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - जर्मनी को भारत का निर्यात 11.53 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 8.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
  - जर्मनी भारत का सातवाँ सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया।
  - अप्रैल 2000 से मार्च 2026 तक भारत में जर्मनी से कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 15.61 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। इसके साथ जर्मनी भारत का दसवाँ सबसे बड़ा निवेशक बन गया।
- **विकास साझेदारी:** जर्मनी भारत के प्रमुख विकास सहयोगियों में से एक है। जर्मनी ने भारत के लिए लगभग 24 अरब यूरो की वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **हरित एवं सतत विकास साझेदारी, 2022:** जर्मनी ने वर्ष 2030 तक 10 अरब यूरो की सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - नवीकरणीय ऊर्जा, मेट्रो परियोजनाओं, हरित परिवहन गलियारों तथा स्मार्ट शहरों के विकास में सहयोग भारत के जलवायु लक्ष्यों एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रत्यक्ष योगदान देता है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन।
- जी-20, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में आपसी समन्वय।
  - दोनों देश नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर बल देते हैं।
- **भारतीय प्रवासी समुदाय:** जर्मनी में वर्ष 2023 के आँकड़ों के अनुसार लगभग 2.46 लाख भारतीय पासपोर्ट धारक एवं भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं।

- जर्मनी में भारतीय प्रवासी समुदाय में मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्ग शामिल हैं—
- पेशेवर एवं विशेषज्ञ।
- शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक।
- व्यवसायी।
- नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी।
- विद्यार्थी।

भारत–जर्मनी संबंधों का महत्त्व

- **आर्थिक सहयोग:** जर्मनी की औद्योगिक विशेषज्ञता, तकनीकी क्षमताएँ एवं निवेश भारत के विनिर्माण क्षेत्र तथा आधारभूत संरचना के विकास को गति प्रदान कर सकते हैं।
- **ऊर्जा सहयोग:** नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन तथा ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में जर्मनी की विशेषज्ञता भारत के ऊर्जा संक्रमण को गति प्रदान कर सकती है।
- **वैश्विक अभिशासन:** दोनों देशों के बीच सहयोग बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है।

भारत–जर्मनी संबंधों में चुनौतियाँ

- **नियामक बाधाएँ:** दोनों देशों की नियामक व्यवस्थाओं में अंतर के कारण व्यापारिक संस्थानों एवं कंपनियों के लिए एक-दूसरे के बाजारों तक पहुँच बनाना कठिन हो जाता है।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** अंतरराष्ट्रीय संघर्षों एवं प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर दोनों देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण सामरिक समन्वय को प्रभावित करते हैं।
- **रक्षा सहयोग संबंधी बाधाएँ:** जर्मनी के कठोर निर्यात नियंत्रण नियमों तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर प्रतिबंधों के कारण संयुक्त रक्षा उत्पादन की प्रक्रिया धीमी हो रही है।
- **निवेश संबंधी बाधाएँ:** भारत में नौकरशाही प्रक्रियाएँ तथा जर्मनी में परिचालन की उच्च लागत नए निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं।
- **निर्यात विविधीकरण का अभाव:** जर्मनी को भारत का निर्यात अभी भी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित है।
  - इसके कारण उच्च मूल्यवर्धित एवं प्रौद्योगिकी-प्रधान बाजारों में भारत की उपस्थिति का विस्तार सीमित रहता है।

आगे की राह

- संयुक्त उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं अनुसंधान सहयोग के माध्यम से रक्षा औद्योगिक साझेदारी को अधिक सुदृढ़ करना।
- भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाकर बाजार तक पहुँच, निवेश प्रवाह तथा सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं का विस्तार करना।
- हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करना।
- वैश्विक अभिशासन, जलवायु कार्रवाई तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर बहुपक्षीय संस्थानों में आपसी समन्वय को बढ़ावा देना।

स्रोत: IE

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा बिसलेरी के विरुद्ध कार्रवाई

संदर्भ

- ब्रोमेट तथा बहुनाभिकीय सुगंधित हाइड्रोकार्बन (PAHs) के संदूषण के कारण जल के एक नमूने को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बिसलेरी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की।

संदूषकों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ

- **ब्रोमेट :** यह एक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, जिसका निर्माण जल के कीटाणुशोधन के लिए प्रयुक्त ओजोन तथा जल में प्राकृतिक रूप से उपस्थित ब्रोमाइड के बीच अभिक्रिया के परिणामस्वरूप उप-उत्पाद के रूप में हो सकता है।
  - **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:** लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से गुर्दे एवं थायरॉइड ग्रंथि में गाँठ या अर्बुद विकसित होने की आशंका हो सकती है।इसकी अधिक मात्रा के संपर्क में आने से गुर्दों को क्षति, जठरांत्र संबंधी समस्याएँ तथा तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्धारित मानक:** 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर (10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर)।
- **बहुनाभिकीय सुगंधित हाइड्रोकार्बन (PAHs):** बहुनाभिकीय सुगंधित हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, जिसका निर्माण मुख्यतः कोयला, तेल, लकड़ी तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से होता है।
  - **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:** कुछ बहुनाभिकीय सुगंधित हाइड्रोकार्बन कैंसरकारी होते हैं। इनके संपर्क में आने से डीएनए को क्षति तथा कोशिकाओं में उत्परिवर्तन हो सकता है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्धारित मानक:** - बेंजो[a] पाइरीन के लिए 0.0007 मिलीग्राम प्रति लीटर (0.7 माइक्रोग्राम प्रति लीटर)।

भारत में पैकेज्ड पेयजल के लिए नियामक ढाँचा

- **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006:** भारत में खाद्य सुरक्षा का विनियमन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत किया जाता है। इसी अधिनियम के माध्यम से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना एक वैधानिक राष्ट्रीय नियामक संस्था के रूप में की गई।
  - वर्ष 2006 के अधिनियम की धारा 3(1)(j) के अंतर्गत पैकेज्ड पेयजल को स्पष्ट रूप से 'खाद्य' की परिभाषा में शामिल किया गया है।
  - यह अधिनियम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को वैज्ञानिक आधार पर खाद्य मानक निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है।
  - इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।
  - प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करना तथा उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री के प्रत्येक चरण में निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
- **खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011:** इन विनियमों में 'पैकेज्ड पेयजल' तथा पैकेज्ड 'प्राकृतिक खनिज जल' के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं।
  - इन मानकों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं—
  - जल के अनुमत स्रोत।
  - जल के उपचार एवं कीटाणुशोधन की प्रक्रियाएँ।
  - सीलबंद पात्रों में जल की पैकेजिंग।
  - सूक्ष्मजीव संबंधी मानक।
  - रासायनिक गुणवत्ता संबंधी मानक।
- **खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018:** इन विनियमों में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में प्रयुक्त सामग्री के लिए आवश्यक मानक एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं।
- **खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020:** इन विनियमों के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के आवरण पर निम्नलिखित जानकारियाँ देना अनिवार्य है—
  - भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का अनुज्ञप्ति क्रमांक।
  - खेप संबंधी विवरण।
  - निर्माण एवं पैकेजिंग की तिथि।
  - समाप्ति तिथि अथवा उपयोग की अंतिम तिथि।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)

- **स्थापना:** इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की गई थी।
- **संबंधित मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- **प्रकृति:** यह एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा के विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।

स्रोत: TH

भारत में पुष्पोत्पादन अर्थव्यवस्था (Floriculture Economy)

समाचारों में

- हाल ही में जारी 'ब्लूमिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स' रिपोर्ट में पुष्पोत्पादन को एक उभरते हुए उद्योग के रूप में रेखांकित किया गया है। वर्ष 2025-26 में इसका उत्पादन लगभग 49 लाख टन तथा निर्यात 258 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

पुष्पोत्पादन के बारे में

- **अर्थ:** पुष्पोत्पादन, उद्यानिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फूलों एवं सजावटी पौधों की खेती, रोपण सामग्री का उत्पादन तथा उनका विपणन किया जाता है।
- **खेती की प्रणालियाँ:** फूलों की खेती खुले खेतों के साथ-साथ संरक्षित खेती की प्रणालियों, जैसे हरितगृहों (ग्रीनहाउस), में भी की जाती है।
  - खुले खेतों में गेंदे, रजनीगंधा और गुलदाउदी जैसे फूल उगाए जाते हैं, जबकि जरबेरा और कार्नेशन जैसे निर्यातोन्मुख फूलों की समान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हरितगृहों में खेती की जाती है।

श्रेणी	विशेषताएँ	उदाहरण
डंठल रहित फूल	लंबी डंठल के बिना तोड़े जाते हैं तथा मुख्यतः मालाएँ बनाने और पूजा-पाठ के लिए वजन के आधार पर बेचे जाते हैं।	गेंदा, चमेली
डंठल सहित फूल	गुलदस्ते और फूलदान की सजावट के लिए डंठल सहित तोड़े जाते हैं।	गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, ऑर्किड

अन्य	सजावटी पत्तियाँ, गमलों एवं क्यारियों में लगाए जाने वाले पौधे, बीज और सूखे फूल शामिल हैं।	फर्न, सजावटी पौधे

भारत में पुष्पोत्पादन: एक दृष्टि में

- **क्षेत्रफल एवं उत्पादन:** वर्ष 2025-26 में लगभग 4.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पुष्पोत्पादन के अंतर्गत था। इससे 36.5 लाख टन ढीले फूलों तथा 12.3 लाख टन कटे हुए फूलों का उत्पादन हुआ (तृतीय अग्रिम अनुमान)।
- **क्षेत्रीय संकेंद्रण:** अकेले आंध्र प्रदेश का देश के कुल पुष्प उत्पादन में लगभग एक-तिहाई योगदान है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का योगदान लगभग 4% है, जिसमें असम और नागालैंड अग्रणी हैं।

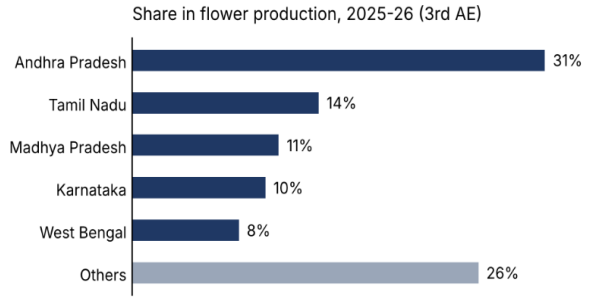

Source: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (PIB, Nov 2026)

- **निर्यात:** बीजों सहित पुष्पोत्पादन उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 के 216.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 258.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सूखे फूलों की भंडारण अवधि अधिक होने के कारण निर्यात में उनकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है।
  - उदाहरण के लिए, फरवरी 2025 में मिजोरम से एंथुरियम फूलों की प्रथम निर्यात प्रेषण सिंगापुर निर्यात करने के लिए रवाना की गई। इसे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा हरी झंडी दिखाई गई।

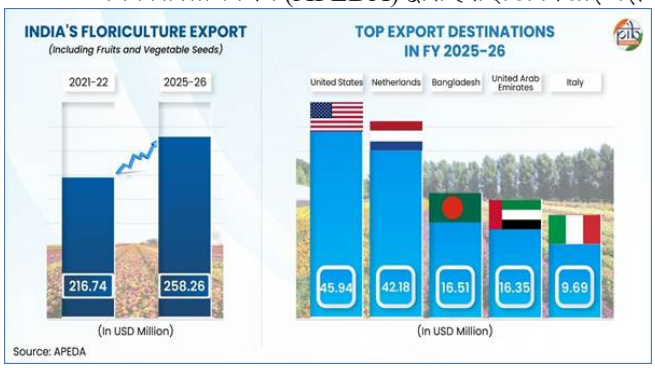

पुष्पोत्पादन का महत्त्व

1. **कृषक आय में वृद्धि:** फूलों से प्रति हेक्टेयर प्राप्त आय अनाज की फसलों की तुलना में काफी अधिक होती है। इससे फसल विविधीकरण अपनाने के इच्छुक छोटे किसानों के लिए यह एक उपयुक्त विकल्प बनता है।
2. **रोजगार सृजन:** फूलों की कटाई, छँटाई, श्रेणीकरण और माला निर्माण जैसी गतिविधियों में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिलता है।
3. **मूल्य संवर्धन:** फूलों का उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, प्राकृतिक रंगों और औषधियों के निर्माण में किया जाता है।

   उदाहरण: सुगंधित उत्पादों में चमेली और गुलाब, औषधि निर्माण में कैलेंडुला एवं कैमोमाइल तथा प्राकृतिक रंगों के निर्माण में गेंदे का उपयोग किया जाता है।
4. **स्थिर घरेलू माँग:** विवाह, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा शहरी जीवनशैली में सजावट के लिए फूलों की निरंतर माँग बनी रहती है, जिससे एक बड़ा घरेलू बाजार उपलब्ध होता है।
5. **पर्यटन एवं क्षेत्रीय पहचान:** हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के हिमालय जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (IHBT) के ट्यूलिप उद्यान में मई 2026 में 1.5 लाख से अधिक पर्यटक पहुँचे।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **शीघ्र नष्ट होने की प्रकृति:** कमजोर शीत-शृंखला व्यवस्था और कटाई के बाद उचित रखरखाव के अभाव में फूलों को अत्यधिक हानि होती है। यह समस्या विशेष रूप से डंठल रहित फूलों के मामले में अधिक गंभीर है।
- **वैश्विक बाजार में सीमित हिस्सेदारी:** बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद भारत का पुष्प निर्यात नीदरलैंड, कोलंबिया और केन्या जैसे प्रमुख निर्यातक देशों की तुलना में बहुत कम है।
- **महँगे निवेश एवं आगत:** हरितगृहों की स्थापना छोटे किसानों के लिए महँगी है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और नई किस्मों के लिए प्रायः आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस पर रॉयल्टी का भुगतान भी करना होता है।
- **परिवहन एवं रसद संबंधी बाधाएँ:** हवाई मालभाड़े की ऊँची लागत और शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के परिवहन की सीमित क्षमता निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।

- **असंगठित बाजार:** अधिकांश फूल अनौपचारिक मंडियों के माध्यम से बेचे जाते हैं, जहाँ श्रेणीकरण और उचित मूल्य निर्धारण की व्यवस्था अपर्याप्त है।

सरकारी पहलें

- **बागवानी के समेकित विकास के लिए मिशन (MIDH):** राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से पुष्पोत्पादन को सहायता प्रदान की जाती है।
- **निर्यात सहायता:** कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) पुष्प निर्यात को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत बीजों, रोपण सामग्री, उपकरणों और हवाई मालभाड़े पर रियायतें प्रदान की जाती हैं। वहीं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) संरक्षित खेती और परिशुद्ध कृषि के लिए वित्तपोषण करता है।
- **अनुसंधान एवं विकास:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), राज्य कृषि विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय समन्वित पुष्पोत्पादन सुधार परियोजना नई किस्मों एवं कृषि पद्धतियों के विकास में योगदान देते हैं।
- **सीएसआईआर पुष्पोत्पादन मिशन (2021):** इसके अंतर्गत 26 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 399 समूहों में 2,208 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को पुष्पोत्पादन के अंतर्गत लाया गया तथा 16,220 लोगों को लाभ मिला।
- **सीएसआईआर सुगंध मिशन (2017):** इस पहल के माध्यम से सुगंधित फसलों का विस्तार 51,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में किया गया तथा लगभग 6,000 टन आवश्यक तेलों का उत्पादन संभव हुआ, जिसका मूल्य लगभग 600 करोड़ रुपये है।
- **प्रयोगशाला से खेत तक नवाचार:** हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ट्यूलिप तथा ओडिशा के संबलपुर में यूस्टोमा की खेती से यह प्रदर्शित हुआ है कि विदेशी फूलों की किस्मों को भी भारतीय जलवायु एवं परिस्थितियों के अनुकूल विकसित किया जा सकता है।

आगे की राह

- **शीत-शृंखला एवं नीलामी केंद्र:** प्रमुख पुष्प उत्पादक क्षेत्रों में पैकिंग केंद्र, प्रशीतित परिवहन वाहन और संगठित नीलामी मंच स्थापित किए जाने चाहिए।
- **स्वदेशी किस्मों का विकास:** रॉयल्टी पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल फूलों की स्वदेशी किस्में विकसित की जानी चाहिए तथा इन्हें पादप किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 (PPV&FR Act) के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- **समूह एवं कृषक उत्पादक संगठन (FPO) मॉडल:** छोटे उत्पादकों को संगठित करके हरितगृहों, श्रेणीकरण सुविधाओं और निर्यात संबंधी रसद का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **मूल्यवर्धित उत्पाद:** सूखे फूलों, आवश्यक तेलों, प्राकृतिक रंगों तथा मंदिरों से निकलने वाले पुष्प अपशिष्ट से अगरबत्ती एवं अन्य उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **बाजार तक पहुँच:** ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ नए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का उपयोग करके यूरोप के प्रीमियम बाजारों तक पहुँच बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही, पूर्वोत्तर क्षेत्र को ऑर्किड और एंथुरियम के उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB

संक्षिप्त समाचार

गुरु नानक देव जी की जयंती

संदर्भ

- हाल ही में, देशभर में गुरु नानक देव जी का 557वाँ प्रकाश पर्व (जन्म जयंती) मनाया गया।

परिचय

- गुरु नानक जयंती को गुरुपर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म के अनुयायियों का सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहार है।
- यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह कार्तिक माह की पंद्रहवीं चंद्र तिथि होती है तथा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः नवंबर माह में पड़ती है।

गुरु नानक देव

- **प्रारंभिक जीवन:** उनका जन्म लाहौर के निकट राय भोई की तलवंडी में हुआ था।
- **सिख धर्म के संस्थापक:** वे दस सिख गुरुओं में प्रथम थे तथा उन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की।
  - उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना आरंभ की तथा 974 भजनों की रचना की।
- **उनकी शिक्षाएँ :** उन्होंने भक्ति के निर्गुण स्वरूप अर्थात् निराकार ईश्वर की भक्ति एवं उपासना का समर्थन किया।
  - उन्होंने एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास व्यक्त किया तथा ध्यान एवं अन्य पवित्र आचरणों के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया।

- उन्होंने सामूहिक धार्मिक उपासना के लिए संगत की परंपरा स्थापित की।
- उनकी वाणियों में भेदभाव से परे मानवता की निःस्वार्थ सेवा करने का संदेश दिया गया है।

- उनके जन्मस्थान पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया।

सिख धर्म

- इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में पंजाब में गुरु नानक देव द्वारा की गई थी। इस पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी रहा।
- 'सिख' शब्द का अर्थ 'शिष्य' अथवा 'सीखने वाला' है तथा इस धर्म को गुरमत (गुरु का मार्ग) कहा जाता है।
- यह एकेश्वरवादी धर्म है, जो एक ईश्वर (एक ओंकार) में विश्वास करता है।
- इसमें व्यक्ति की आंतरिक धार्मिक चेतना तथा ईश्वर के स्मरण (सिमरन) पर बल दिया जाता है।
- यह कर्मकांडों की निंदा करता है तथा मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता है।
- गुरुद्वारा सिख धर्म का उपासना स्थल है।
- गुरु ग्रंथ साहिब (आदि ग्रंथ) को जीवंत गुरु के रूप में माना जाता है।
- गुरु गोबिंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों शामिल थे।
- खालसा के सदस्यों के लिए पाँच ककार धारण करना अनिवार्य है:
  - कड़ा
  - कच्छा
  - कृपाण
  - केश
  - कंघा

करतारपुर गलियारा

- इस गलियारे का निर्माण 12 नवंबर, 2019 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर किया गया था।
- यह सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ बाबा गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए और उपदेश दिए थे।

स्रोत: AIR

लचित बोरफुकन

समाचारों में

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने लचित दिवस के अवसर पर असम की रक्षा में उनके साहस और दृढ़ संकल्प को स्मरण करते हुए महान लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की।

लचित बोरफुकन कौन थे?

- लचित बोरफुकन (1622–1672) असम के अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध सैन्य सेनापति थे।
- उन्हें असम में मुगल विस्तार का प्रतिरोध करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए स्मरण किया जाता है।

सरायघाट का युद्ध (1671)

- उन्होंने वर्ष 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़े गए सरायघाट के युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- यह युद्ध गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया था।
- अहोम सेना ने मुगल सेना को सफलतापूर्वक पराजित किया, जिससे असम में मुगलों के आगे के विस्तार को रोका जा सका।
- इस युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व को असम के इतिहास की उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धियों में से एक माना जाता है।

स्रोत: DD

शेषनाग झील

संदर्भ

- अमरनाथ यात्रा के लिए शेषनाग झील के निकट पैदल यात्रा मार्ग को चौड़ा करने हेतु उत्खनन मशीनों के उपयोग ने संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाली क्षति को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

शेषनाग झील के बारे में

- **अवस्थिति:** यह जम्मू-कश्मीर की लिद्दर घाटी में पहलगाम–चंदनवाड़ी–अमरनाथ गुफा मार्ग पर स्थित है।
  - यह हिमालयी पर्वतों से घिरी एक हिमनदीय झील है, जो समुद्र तल से लगभग 3,590 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
  - यह क्षेत्र कई उच्च ऊँचाई वाली झीलों का हिस्सा है, जिनमें सोनसर, हरनाग, कोनाग और हरभगवान झीलें शामिल हैं।
- **जलस्रोत:** इस क्षेत्र के हिमनद इन झीलों तथा लिद्दर नदी को जल प्रदान करते हैं। लिद्दर नदी झेलम नदी की एक महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है।

धार्मिक महत्त्व

- हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमर कथा (अमरत्व का रहस्य) सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान करते समय शेषनाग में अपने सर्पों को छोड़ दिया था।
- 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी में भी इस झील का उल्लेख एक नाग देवता के निवास स्थान के रूप में मिलता है।

स्रोत: IE

इसरो का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) प्रक्षेपित करने का लक्ष्य

समाचारों में

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) दिसंबर 2026 में SSLV का प्रथम परिचालन मिशन प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। इससे पूर्व इसके तीन विकासात्मक प्रक्षेपण किए जा चुके हैं, जिनमें अंतिम दो सफल रहे थे।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)

- यह तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें ठोस प्रणोदन पर आधारित तीन चरण तथा अंतिम चरण के रूप में द्रव प्रणोदन आधारित वेग समायोजन मॉड्यूल (VTM) लगा होता है।
- यह लगभग 500 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को 500 किलोमीटर की समतलीय कक्षा अर्थात् निम्न भू-कक्षा (LEO) में स्थापित करने में सक्षम है।
- **SSLV की प्रमुख विशेषताएँ:**
  - कम लागत।
  - प्रक्षेपणों के बीच कम समयांतराल।
  - एक साथ कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की सुविधा।
  - माँग के अनुसार प्रक्षेपण की क्षमता।
  - न्यूनतम प्रक्षेपण अवसंरचना की आवश्यकता।

स्रोत: IE

बेपीकोलंबो मिशन

समाचारों में

- हाल ही में, बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए बेपीकोलंबो अंतरिक्ष यान बुध की कक्षा में पहुँचा।

बेपीकोलंबो मिशन के बारे में

- यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है।
  - इसे वर्ष 2018 में प्रक्षेपित किया गया था।
- **उद्देश्य:** इस मिशन का उद्देश्य बुध ग्रह से जुड़े रहस्यों का अध्ययन करना है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - बुध के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का अध्ययन।
  - अत्यधिक तापमान के बावजूद इसके ध्रुवीय गर्तों में बर्फ की उपस्थिति का पता लगाना।
  - ग्रह की सतह पर पाई जाने वाली रहस्यमयी संरचनाओं, जिन्हें 'हॉलोज़' (Hollows) कहा जाता है, की प्रकृति का अध्ययन।

स्रोत: TH

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (CSL)

समाचारों में

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत 135 वर्ष पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (CSL) को प्रस्तावित रूप से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है।

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के बारे में

- **स्थापना:** इसकी स्थापना वर्ष 1891 में कोलकाता में 'इंपीरियल सचिवालय पुस्तकालय' के रूप में की गई थी। ब्रिटिश भारतीय राजधानी के स्थानांतरण के बाद इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** यह संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है।
- **संग्रह:** इसमें 8.5 लाख से अधिक पुस्तकें एवं अन्य संदर्भ सामग्री उपलब्ध हैं। यह कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के बाद केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय है।
- **ऐतिहासिक अभिलेखों का संरक्षण:**
  - यह ब्रिटिश शासनकाल के आधिकारिक प्रकाशनों की सूक्ष्म फिल्म प्रतियाँ संरक्षित करता है।
  - इसने भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचनाओं (1922–2001) के संपूर्ण पाठ का अंकीयकरण किया है।

स्रोत: TH

■■■